

रजिस्ट्रं सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23—मार्च 29, 2013 (चैत्र 2, 1935)

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23—MARCH 29, 2013 (CHAITRA 2, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[संवैधानिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली-110002, दिनांक--दिसम्बर 2012

नि. सं. 14-4/2012 (सीपीपी-II)--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3 : 1956) के अनुच्छेद 26 के अनुच्छेद (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में, एतद्द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निम्नलिखित विनियमों का प्रकाशन करता है, नामतः--

अखिलेश गुप्ता
सचिव

लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:-

- (1) ये विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 कहलाएंगे।
- (2) इन्हें, प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा, चाहे वे किसी केन्द्रीय, राज्यीय अधिनियम के अंतर्गत लागू स्थापित या निगमित हों तथा प्रत्येक उस संस्थान में, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2 की धारा (एफ) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त है तथा उन सभी संस्थानों में, जो कथित अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत मानित विश्वविद्यालय घोषित किये गए हैं।
- (3) इन्हें, भारत के राजपत्र में, प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा।

2. परिभाषा: यदि अन्यथा संदर्भ आवश्यक न हो तो, इन विनियमों के अंतर्गत:-

- (क) "अधिनियम" से तात्पर्य है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3:1956);
- (ख) "पीड़ित छात्र" से तात्पर्य है, वह छात्र जिसे इन विनियमों के अंतर्गत परिभाषित शिकायतों से संबद्ध मामलों संबंधी कोई शिकायत हो;
- (ग) "महाविद्यालय" से तात्पर्य है, एक ऐसा संस्थान जो अपने इसी स्वरूप अथवा अन्य किसी नाम से जाना जाता है, जिसमें अध्ययन के उन पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराया जाता है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त की जा सके अथवा जिसे ऐसे नियम एवं विनियमों के अनुसार सक्षम माना गया हो तथा जो ऐसे पाठ्यक्रमों को उन छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हों, जो छात्र उन परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त करने के लिए इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं;

- (घ) "आयोग" से तात्पर्य है यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
- (ङ) "घोषित दाखिला नीति" से तात्पर्य, किसी अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में दाखिला हेतु ऐसी नीति से है जिसकी किसी संस्थान द्वारा पेशकश की जाए तथा जिसे विनियम 3 के उप-विनियम (1) में संदर्भित विवरणिका में प्रकाशित किया जाए।
- (च) "शिकायत" के अंतर्गत पीड़ित छात्र की निम्नलिखित शिकायतें सम्मिलित हैं, नामतः:
- (i) संस्थान की घोषित दाखिला नीति के अनुसरण में निर्धारित मेरिट के विरुद्ध दाखिला प्रदान करना;
 - (ii) संस्थान द्वारा स्वीकृत दाखिला प्रक्रिया में अनियमितता;
 - (iii) संस्थान की घोषित दाखिला नीति के अनुसरण में दाखिले से इंकार करना;
 - (iv) विनिर्दिष्ट अनुसार विवरणिका का गैर प्रकाशन;
 - (v) विवरणिका में किसी भी ऐसी सूचना का प्रकाशन करना जो झूठ या भ्रामक है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है;
 - (vi) किसी छात्र द्वारा दाखिला लेते समय डिग्री, डिप्लोमा आदि प्रमाणपत्रों को उच्च शैक्षिक संस्थान में जमा कर दिये जाने पर, इन दस्तावेजों को इस विचार से उस संस्थान द्वारा अपने पास रोक लेना या वापस लौटाने से इंकार करना कि वे जिस अध्ययन पाठ्यक्रम, या कार्यक्रम को आगे पढ़ने का इच्छुक नहीं हैं, उसका शुल्क वसूल करने के लिए दबाव बना सके;
 - (vii) घोषित दाखिला नीति में निर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग करना जिस ऐसे संस्थान द्वारा वसूल किया जाता है;
 - (viii) दाखिला आरक्षण हेतु अनुप्रयोजनीय नीति का उल्लंघन करना;
 - (ix) अजा., अजजा, अपिव, महिलाओं, अल्पसंख्यकों या विकलांग श्रेणी के छात्रों के साथ कथित भेदभाव संबंधी शिकायतें;

- (x) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा लागू शर्तों के अंतर्गत ऐसे प्रतिबद्ध संस्थान द्वारा किसी भी छात्र को छात्रवृत्तियों का भुगतान न करना या भुगतान में विलम्ब करना;
- (xi) अकादमिक में निर्देश के विपरीत परीक्षाओं के संचालन या घोषणा में विलम्ब करना;
- (xii) छात्र सुख-सुविधाओं का प्रावधान, जिन्हें संस्थान ने अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का वचन दिया है;
- (xiii) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से इंकार करना, जैसा कि दाखिले के समय उपलब्ध कराने का वचन दिया गया था;
- (xiv) गैर पारदर्शी या अनुचित मूल्यांकन प्रणाली;
- (xv) यौन उत्पीड़न सहित छात्रों का शोषण एवं प्रताड़ना;
- (छ) "शिकायत निवारण समिति" से तात्पर्य है एक ऐसी समिति, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत गठित किया गया है;
- (ज) "उच्च शैक्षिक संस्थान" से तात्पर्य है एक ऐसा विश्वविद्यालय, जो अनुच्छेद 2 की धारा (एफ) में आवृत्त है अथवा एक ऐसा महाविद्यालय, जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (बी) की परिभाषा में आवृत्त है तथा एक ऐसा संस्थान जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।
- (झ) "संस्थान" से तात्पर्य है इन विनियमों के संदर्भ में एक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान, जैसा भी मामला हो.
- (ञ) "लाभकारी संस्था" से तात्पर्य है एक ऐसा कार्यालय जो कोई लाभ या धन अर्जित कर सके जिसके अंतर्गत वेतन, पारिश्रमिक, परिलब्धियाँ, क्षतिपूर्ति या गैर-क्षतिपूरक भत्ता आते हैं।
- (ट) "लोकपाल" से तात्पर्य है इन विनियमों के विनियम 4 के अंतर्गत नियुक्त लोकपाल;
- (ठ) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य है, एक ऐसा विश्वविद्यालय, जो केन्द्रीय राज्यीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या निगमित है तथा जिसे इस अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है।

(1) विवरणिका का अधिदेशात्मक प्रकाशन इसकी विषयवस्तु एवं मूल्य:

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान, अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में दाखिले के प्रवर्तन की तिथि से 60 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व उरा संस्थान में दाखिले के इच्छुक व्यक्तियों की सूचना या सामान्य जनता हेतु एक विवरणिका प्रकाशित करेगा, नामतः—

(क) ऐसे संस्थानों में अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में दाखिल छात्रों द्वारा शुल्क के प्रत्येक घटक, जमा एवं अन्य देय प्रभार तथा भुगतान के नियम एवं शर्तें।

(ख) ट्यूशन शुल्क की प्रतिशतता एवं अन्य प्रभार, जिसका संस्थान में दाखिल छात्र को प्रत्यर्पण किया जाता है, यदि वह छात्र उस संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के पूरा होने से पहले या बाद में या उस समय के दौरान अपना नाम वापस ले लेता है;

(ग) अकादमिक रात्र जिसमें दाखिला लेना प्रस्तावित है, उसके अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के संबंध में उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या।

(घ) पात्रता की शर्तें, अध्ययन के किसी विशेष पाठ्यक्रम या कार्यक्रम जिसमें एक छात्र दाखिला लेना चाहता है, उसकी न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा सहित जहाँ संस्थान द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ङ) शैक्षिक योग्यताएं, संबद्ध सांविधिक प्राधिकरण या संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट, जहाँ किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा पात्रता मानक निर्धारित नहीं किये गए हैं।

(च) दाखिले के इच्छुक के दाखिला एवं चयन की प्रक्रिया जिसमें जिसमें अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में दाखिला हेतु परिक्षा की समस्त विवरण चयन प्रक्रिया संबंधी सूचना सम्मिलित हो।

(छ) अध्यापन संकाय का विवरण, जिसमें अध्यापन संकाय के प्रत्येक सदस्य की शैक्षिक योग्यता एवं शैक्षिक अनुभव समाविष्ट हो तथा यह भी निर्दिष्ट किया गया हो कि ये सदस्य नियमित आधार पर हैं या अतिथि सदस्य;

(ज) सूचना: भौतिक एवं अकादमिक अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में छात्रावास स्थल, पुस्तकालय एवं अस्पताल या उद्योग समाविष्ट हों, जिसमें विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, विशेषतौर पर संस्थान में दाखिल छात्र द्वारा प्राप्त सुविधाओं के संबंध में।

(झ) पाठ्यचर्या की मुख्य रूपरेखाएँ, उचित सांविधिक प्राधिकरण या संस्थान द्वारा निर्दिष्ट जैसा भी मामला हो प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम हेतु

अध्यापन के घंटे, प्रायोगिक सत्र एवं नियत कार्य सहित;

(ग) सभी संबद्ध अनुदेश, संस्थान के परिसर के भीतर एवं बाहर, छात्रों द्वारा अनुशासन बनाये रखने के संबंध में, विशेषरूप से किसी भी एक छात्र या अनेक छात्रों की रैगिंग के प्रावधानों एवं विनियम जिन्हें संबद्ध सांविधिक नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रतिबंधात्मक निषेधात्मक अनुशासन तथा उसके उत्तरवर्ती परिणाम;

(घ) ऐसी कोई भी अन्य सूचना जिसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

बशर्ते, संस्थान, अपनी वेबसाइट पर इस उप-विनियम के शीर्ष (ए)-(जे) में सदभित सूचना को प्रकाशित करेगा तथा विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य मात्रा में प्रदर्शित विज्ञापनों के माध्यम से, जिनकी ओर भावी छात्रों एवं जनसामान्य का ध्यानाकर्षित किया जाए; बशर्ते, इसके अतिरिक्त कोई भी संस्थान इस उप-विनियम के अनुसार 60 दिनों की अवधि से पूर्व किसी भी समय पर अपनी विवरणिका प्रकाशित करें।

(2) प्रत्येक संस्थान, उस विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निर्धारित करेगा जो इसके प्रकाशन एवं वितरण की उचित लागत से अधिक न हो तथा जिसके प्रकाशन, वितरण या विक्रय द्वारा कोई भी लाभ अर्जित नहीं किया जाएगा।

शिकायत निवारणसत्र के अंतर्गत नियुक्ति, कार्यकाल, निलम्बन एवं सेवा संबंधी शर्तें:

(1) इन विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय, छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करेगा।

(2) लोकपाल, वह व्यक्ति होगा जो एक न्यायाधीश रहा हो, जो जिम्मा न्यायाधीश से निचले पद का न हो अथवा एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हो जिसके पास एक प्रोफेसर के रूप में दस वर्ष का अनुभव हो।

(3) लोकपाल, अपनी नियुक्ति से पूर्व एक वर्ष के दौरान अथवा लोकपाल के कार्यकाल के दौरान, जिसका विश्वविद्यालय के साथ वैचारिक मद्भेद नहीं हो जिसने व्यक्तिगत संबद्ध, व्यावसायिक संबद्धता या वित्तीय हितों के साथ कोई समझौता न किया हो न ही तार्किक रूप से ऐसा लगे कि उसने विश्वविद्यालय के निर्णय संबंधी स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता किया है।

(4) लोकपाल या उसके परिवार का कोई निकट सदस्य ऐसा नहीं करेगा:-

(क) विश्वविद्यालय में वह किसी भी लाभकारी पद पर, किसी भी अवधि या स्थिति में कोई नियुक्ति प्राप्त नहीं करेगा;

- (ख) विश्वविद्यालय के साथ वह कोई भी व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक अथवा वित्तीय संबंध नहीं रखेगा।
- (ग) विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा शासी ढाँचे में जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उस पद को ग्रहण नहीं करेगा।

(5)

राज्य विश्वविद्यालय में लोकपाल को, अन्वेषण समिति द्वारा अनुशंसित तीन विचाराधीन निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूची में से अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा; जिसमें निम्न सदस्य होंगे नामतः

- (क) राज्य के राज्यपाल का नामिती: अध्यक्ष;
- (ख) दो कुलपति, राज्य के विश्वविद्यालय से अनुक्रमानुसार राज्य सरकार द्वारा नामित—सदस्य;
- (ग) एक कुलपति, राज्य के निजी विश्वविद्यालय से अनुक्रमानुसार राज्य सरकार द्वारा नामित—सदस्य।
- (घ) राज्य सचिव (उच्च शिक्षा)—सदस्य—संयोजक

(6)

किसी भी केन्द्रीय या मानित विश्वविद्यालय में एक लोकपाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उस संस्थान द्वारा यथास्थिति संभावित रूप से अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा जिसके लिए अन्वेषण समिति द्वारा अनुशंसित नामावली के निम्न 3 सदस्यों की विचार समिति नियुक्त की जाएगी: नामतः

- (क) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा उसका नामिती अध्यक्ष,
- (ख) एक कुलपति केन्द्रीय विश्वविद्यालय के आवर्तन क्रमानुसार केन्द्र सरकार द्वारा नामित—सदस्य;
- (ग) एक कुलपति मानित विश्वविद्यालय के रूप में स्थित संस्थान के आवर्तन क्रमानुसार केन्द्र सरकार द्वारा नामित;
- (घ) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार उच्च शिक्षा से जुड़े अथवा उसके प्रभारी के रूप में कार्यरत—सदस्य;

- (ड) संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय
—सदस्य—संयोजक
- (7) लोकपाल (Ombudsman), एक अंशकालिक अधिकारी होगा जिसे 3 वर्ष के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से कार्यभार संभालने की तिथि से जो भी पहले हो—नियुक्त किया जायेगा तथा उसी विश्वविद्यालय में उसे एक और सत्र के लिये भी नियुक्त किया जा सकता है।
- (8) यात्रा व्यय की पूर्ति के अतिरिक्त, उस लोकपाल को प्रतिदिन सुनवाई ₹ 3,000/- का शुल्क दिया जायेगा।
- (9) जैसा कि इस विनियम के उप-विनियम (3) एवं (4) में परिभाषित है, उस लोकपाल को सम्बद्ध नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, यदि उसके विरुद्ध कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोप सिद्ध हो जाएं।
- (10) लोकपाल की बर्खास्तगी का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक इस संबंध में की गई पड़ताल, जिसके अनुसार इस लोकपाल के विरुद्ध दायर आरोपों को सूचित किया गया है, जिसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उपयुक्त अवसर प्रदान किया गया है तथा पड़ताल ऐसे व्यक्ति ने पूरा नहीं की हो तथा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से निम्न स्तर का न हो।

5. शिकायत निवारण करने वाली समिति:-

- (1) किसी भी महाविद्यालय के मामले में, सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति, उस विशिष्ट महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों के समूह के बारे में उस महाविद्यालय (महाविद्यालयों) की अवस्थिति को दृष्टिगत करते हुए एक शिकायत निवारण समिति नियुक्त करेंगे।
- (2) शिकायत निवारण समिति का गठन, संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे:-
- (क) विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर-अध्यक्ष;
- (ख) संबद्ध महाविद्यालयों से आवर्तन क्रमानुसार चयनित तीन वरिष्ठ जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा—सदस्य;

(ग) जिस महाविद्यालय में घटना हुई है, उस का एक छात्र विशेष प्रतिनिधि के रूप में तथा उस सम्बन्ध महाविद्यालय में अकादमिक योग्यता के आधार पर नामित किया जाएगा—विशेष अतिथि।

- (3) शिकायत निवारण समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
- (4) जहाँ तक प्रतिपूर्ति, प्रणाली एवं प्रकार्यों के मामलो में विनियम 4 एवं 6 के उप-विनियम (8), (9) एवं (10) यथावश्यक परिवर्तनों सहित शिकायत समिति पर लागू होंगे, जिसके अतिरिक्त आवेदन प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर शिकायत निवारण समिति अपना निर्णय सम्प्रेषित करेगी।
- (5) शिकायत निवारण समिति के निर्णय से जो भी असन्तुष्ट है, वह लोकपाल के समक्ष अपनी अपील छः दिन के भीतर दायर कर सकता है।

6. लोकपाल के अधिकार एवं प्रकार्य

(1) किसी शिकायत की सुनवाई के लिये लोकपाल अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा—

(क) किसी भी विश्वविद्यालय अथवा संबद्ध संस्थान अथवा संस्थान के विरुद्ध किसी छात्र द्वारा की गई शिकायत यथास्थिति जिस शिकायत को दूर करने के सभी उपलब्ध उपचारों के द्वारा कोई हल नहीं निकला हो; एवं

(ख) ऐसा कोई छात्र, जो संस्थान में प्रवेश पाने के लिये आवेदन कर्ता है।

(2) लोकपाल द्वारा उत्तर-पुरस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनः अंकीकरण के किसी भी आवेदन को तब तक विचारधीन नहीं रखा जायेगा, जब तक कि विशिष्ट अनियमितता का कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता कि इस भेदभाव के विशिष्ट मामले का दुष्प्रभाव उस निर्णय पर पड़ सकता है।

- (3) कथित भेदभाव की शिकायतों को सुनने के लिए, लोकपाल के पास अधिकार होंगे। वह ऐसे व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है जो अ.जा. अथवा अ.ज.जा., सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग अथवा विकलांग श्रेणी का है उसके—विरुद्ध कथित भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करेगा।

लोकपाल एवं शिकायत निवारण समिति द्वारा शिकायत निवारण की विधि:—

- (1) प्रत्येक संस्थान, ऐसी एक रजिस्ट्री स्थापित करेगा जहाँ पर कोई भी दुखी छात्र अथवा व्यक्ति अपनी शिकायत के निवारण के लिये आवेदन कर सकता है तथा जिसका नेतृत्व उस संस्थान का उचित श्रेणी वाला कर्मचारी करेगा उसके बारे में लोकपाल फैसला करेगा।
- (2) इस प्रकार से स्थापित जो रजिस्ट्री का पता बड़े-बड़े अक्षरों में प्रकाशित किया जाएगा नोटिस बोर्ड एवं विवरणिका सहित और उस संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (3) रजिस्ट्री में कोई भी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यथास्थिति प्राधिकारी कर्मचारी प्रभारी, लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति को सूचित करेगा और तुरन्त ही उस आवेदन की एक प्रति संस्थान को उपलब्ध करायेगा, ताकि सात दिनों के भीतर इसका उत्तर दिया जा सके।
- (4) लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति, यथास्थिति, इस शिकायत की सुनवाई की एक तिथि निर्धारित करेगी जिसे यथोचित रूप से उस संस्थान एवं पीड़ित व्यक्ति को लिखित रूप में अथवा इलैक्टॉनिक विधि द्वारा सम्प्रेषित किया जायेगा।
- (5) कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये, स्वयं ही पेश हो सकता है अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है।
- (6) शिकायत की सुनवाई के दौरान, लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति, यथास्थिति, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करेगी।
- (7) लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति, यथास्थिति, यथाशीघ्र उस आवेदन के निवारण को सुनिश्चित करेगी—परन्तु इसका निवारण आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही करेगी।
- (8) शिकायतों के निवारण के मामले में, यथास्थिति, संस्थान, लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति से सहयोग करेगा तथा ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में लोकपाल द्वारा सूचना आयोग को भेजेगा।

- (9) कार्यवाही पूरी होने पर लोकपाल या शिकायत निवारण समिति यथा स्थिति तर्कसंगत इस आशय का आदेश पारित करेंगे जो इस शिकायत का निवारण कर सके तथा इस मामले से प्रभावित व्यक्तियों को अपेक्षित राहत पहुँचाने में सक्षम हो।
- (10) उप-विनियम (9) के अन्तर्गत, प्रत्येक आदेश लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति के हस्ताक्षरों सहित, यथास्थिति उस पीड़ित व्यक्ति एवं संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसे संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (11) लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति द्वारा दिये गए आदेश का अनुपालन, यथास्थिति, संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (12) किसी भी संस्थान द्वारा यथास्थिति, यदि लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति के किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उसे आयोग को सूचित किया जायेगा।
- (13) लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति की विशेष अनुमति से, यथास्थिति, कोई भी पीड़ित छात्र अथवा अभिभावक या अन्य कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है।
- (14) किसी भी असत्य अथवा घटिया शिकायत के मामले में लोकपाल, उस शिकायतकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई का आदेश दे सकता है।

8. लोकपाल शिकायत निराकरण समिति संबंधी विवरणिका में प्रकाशित सूचना:-

विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय अपनी विवरणिका में, शिकायत निवारण समिति एवं लोकपाल के प्रावधानों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध करायेंगे तथा छात्रों के कर्तव्यों एवं अधिकारों को मुख्य रूप से प्रदर्शित करेंगे।

9. गैर-अनुपालन के उत्तरवर्ती परिणाम:-

लोकपाल शिकायत निवारण समिति के आदेशों का यथास्थिति, यदि कोई संस्थान जानबूझकर उल्लंघन करता है अथवा उनके अनुपालन में असमर्थ बना रहता है तो आयोग इस बारे में निम्न में से एक अथवा इससे अधिक बातों पर कार्रवाई कर सकता है, नामत:-

(क) यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12बी के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने की घोषणा का निवर्तन;

(ख) संस्थान को आवंटित अनुदान पर रोक लगाना;

- (ग) आयोग द्वारा संचालित सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसी भी सहायता के लिये उस संस्थान को अपात्र घोषित करना:
- (घ) जनसाधारण, तथा भावी दाखिला पाने वाले प्रत्याशियों को समाचारपत्रों में प्रकाशित नोटिस अथवा उपयुक्त मीडिया द्वारा यूजीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करके इस आशय की घोषणा करके कि शिकायतों के निवारण के लिये इस संस्थान में न्यूनतम मानक भी विद्यमान नहीं हैं;
- (ज) यदि वह महाविद्यालय का मामला है तो संबद्ध विश्वविद्यालय की संबद्धता का निवर्तन करने की अनुशंसा की जाये।
- (च) यदि वह एक मानित विश्वविद्यालय है तो केन्द्र सरकार को इसकी मानित विश्वविद्यालय के रूप में की गई घोषणा के निवर्तन की अनुशंसा की जाए;
- (छ) यदि वह राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय है, तो उस विश्वविद्यालय के स्तर के निवर्तन हेतु संबद्ध राज्य सरकार को अनुशंसा की जाये।
- (ज) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोग अपने प्रदत्त अधिकारों के अनुसार यथायोग्य दण्ड संबंधी ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है जिसे इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उस अवधि के लिए लागू होगा जिनके संस्थान इन विनियमों का अनुपालन करता है।

बशर्ते आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी जब तक कि संस्थान द्वारा उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उसके पक्ष की सुनवाई करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

(डा० अखिलेश गुप्ता)
सचिव